न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी :– श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
28 / 2024	प्रा0पत्र 111, 128 LRA	12.08.2024	27.03.2025

1. परमेश्वरी पत्नी श्री फूलचन्द जाति जाट निवासी ग्राम राणासर तहसील व जिला चूरू(राजस्थान)

–प्रार्थीनी–

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम जाट निवासी ग्राम राणासर तहसील व जिला चूरू
2. रणवीरसिंह पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानियां प्रार्थी
2 अधिवक्ता श्री राकेश डुडी अप्रार्थी सं. 01, 03

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है

1. यह कि प्रार्थीया मूल रूप से ग्राम राणासर तहसील व जिला चूरू की निवासीनी है तथा प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नंबर– 80 तादादी 1.1635 हैक्टेयर रोही मौजा राणासर पटवार हल्का ढाढर भू.अभि.नि. क्षेत्र चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित है।

2. यह कि प्रार्थीया की उक्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त स्वयं प्रार्थीया का ही है तथा लगातार कथित कृषि भूमि का काश्त कर करता आ है।

3. यह कि प्राथया की उक्त कृषि भूमि के पड़ौस में पूर्व की ओर कृषि भूमि खसरा क्रमांक–345 है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि कृषि भूमि के किसानों को पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:28:28 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि कृषि भूमि खसरा क्रमांक 80 तादादी 1.1635 हेक्टेयर रोही मौजा राणासर तहसील व जिला चूरू (राज.) के कटानी मार्ग खसरा नंबर–350 के बाद पूर्व की ओर किसानों ने उक्त

44

भूमि की सीमा को नष्ट कर दिया है और सीमा को लेकर भूमि विवाद व तनाव बना हुआ है। प्रार्थीया ने इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.05.2024 को तहसीलदार चूरू के यहां किया था, जिसपर हल्का पटवारी ढाढर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई व प्रार्थीया को श्रीमान् तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक एस.एन. /165 दिनांक 29.05.2024 को ग्राम रोही राणासर के खसरा संख्या – 80 में हल्का पटवारी ढाढर द्वारा सीमा ज्ञान मौके पर किया गया, जिसमें प्रार्थीया का रकबा मौके पर 1.3070 हैक्टेयर है, खसरा नम्बर –80 का शेष रकबा 0. 1265 हैक्टेयर जो खसरा नंबर–345 के पश्चिमी–दक्षिणी कोने व रास्ते के पिचपा हुआ 2.5 गठ्ठा आया। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया कि आपके खसरा नम्बर –345 के दक्षिण–345 के पश्चिम दक्षिणी कोने व रास्ते के चिपता हुआ 2.5 गठ्ठा मेरी भूमि जो भूलवश आपके खसरा नंबर–345 में शामिल हो गई है, लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीया की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रार्थीया की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए प्रार्थीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी भूमि के चारों ओर सीमाओं का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवा ले जिाके जिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा

5. यह कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि की भूमि की सीमाओं को नष्ट न करें तथा नापकर सीमा तय करवा लेवें पर पहले तो टालमटोल करते रहे, अन्त में दिनांक 28.04.2023 को ऐसा करने से इन्कार कर दिया, इसी तिथि को विनय सुखस्त प्रार्थना पत्र है तथा प्राथिया खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

6. यह सभी प्रक्रिया तहसीलदार चूरू के माध्यम से होनी है, हार है, जिसके कारण राजस्थान सरकार सहायक को समर्थन प्रमाण पत्र संख्या 04 बनाया गया है।

7. यह कि प्रार्थीया पत्थरगढ़ी के लिये निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेगें, तो आवश्यक फीस जाम करवा दी जावेगी।

8. यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर हर प्रकार से अन्द मियाद प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:28:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है [illegible] पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 80 तादादी [illegible] तहसील व जिला चूरू (राज.) की पूर्वी दिशा में खसरा [illegible] पटवारी ढाढर की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी–दक्षिणी कोने व रास्ते चिपता हुआ 2.5 [illegible]ठ्ठा तक का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे एवं प्रार्थीया उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता राकेश डुडी उपस्थित हुए तथा अंकित किया किया प्रार्थीनी की भूमि की पत्थर गढी की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी सं. 02 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए अप्रार्थी संख्या 02 के खिलाफ एकपक्षीय कार्य वाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से पत्थर गढी किये जाने पर अनापति जाहिर करने व अप्रार्थी संख्या 02 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलाकन किया गया

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 ने पत्थरगढी करवाये जाने में अनापति जाहिर की है । प्रकरण में हालांकि अप्रार्थीगण संख्या 02 खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है परन्तु खातेदार की कृषि भूमि मौके पर राजस्व रिकॉर्ड से कम है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेशों से खातेदारों के अधिकार व अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम राणासर के खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 1.1635हैक्टेयर की नपती हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:28:28 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू